

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा- 46(1) बी के तहत
अनुमति वाद संख्या -आर. एम. 91/2022-23

हरिहर महतो.....विक्रेता

बनाम

ओम प्रकाश महतो.....क्रेता

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

26.11.2022

विक्रेता का नाम एवं पता- हरिहर महतो पिता-ब्रजमोहन महतो निवास ग्राम-मारांगकिरी पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेतीवारी।

क्रेता का नाम एवं पता:- ओम प्रकाश महतो, पिता-विन्देश्वरी महतो निवास ग्राम-मारांगकिरी पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेतीवारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम:- श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06/10/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत क्रेता ओम प्रकाश महतो पिता-विन्देश्वरी महतो निवास ग्राम-मारांगकिरी, पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेतीवारी के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा-मारांगकिरी, थाना-सोनाहातु, थाना सं०-17 जिला-राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
42	225	09 डीसमील	उ०-बलराम महतो द०-सहायक रास्ता पू०-बलराम महतो प०-खितीश चन्द्र महतो

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी सोनाहातु का पत्रांक-552 (11) दिनांक 11/11/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:-

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत तीलक महतो वो कन्दरु महतो पिता-धनीया महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
2. खतियानी रैयत/पंजी-11 रैयत के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध परपोता का है।
3. पंजी-11 के अनुसार रैयत का नाम दक्षिण, दशरथ, उत्तर, ब्रजमोहन महतो वगैरह है।

26.11.2022

4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2019-2020 तक वसूली की गई है।
5. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाड़-। दर्ज है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
8. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका का अंश 3.71 एकड़ है।
9. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा-3.62 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
10. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी ईलाज हेतु बिक्री कर रहे है।
11. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
12. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है।
13. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है।
14. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
15. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
16. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
17. भूमि के बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत विक्रेता हरिहर महतो पिता-ब्रजमोहन महतो निवास ग्राम-मारांगकिरी, पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेतीवारी ने क्रेता/विपक्षी ओम प्रकाश महतो पिता-विन्देश्वरी महतो निवास ग्राम-मारांगकिरी, पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेतीवारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 06/10/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता हरिहर महतो पिता-ब्रजमोहन महतो निवास ग्राम-मारांगकिरी, पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेतीवारी को क्रेता/विपक्षी ओम प्रकाश महतो पिता-विन्देश्वरी महतो निवास ग्राम-मारांगकिरी, पो०-बारेन्दा, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेतीवारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा-मारांगकिरी, थाना-सोनाहातु, थाना सं०-17 जिला-राँची,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
42	225	09 डीसमील	उ०-बलराम महतो द०-सहायक रास्ता पू०-बलराम महतो प०-खितीश चन्द्र महतो

लेखापित एवं सशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।